

## एनआरसी लागू करेगा मणपुर

### प्रलिस के लयि:

नागरकों का राष्ट्रीय रजस्रर, इनर लाइन परमर, स्वदेशी लोगों की सुरकषा ।

### मेन्स के लयि:

मणपुर में एनआरसी लागू करने का कारण ।

## चरचा में क्यों?

हाल ही में मणपुर वधानसभा ने [राष्ट्रीय नागरकी रजस्रर \(NRC\)](#) को लागू करने और राज्य जनसंख्या आयोग (SPC) की स्थापना करने का संकल्प लयि है ।

- यह नरिणय तब लयि गया है जब कम-से-कम 19 शीरष आदवासी संगठनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लखकर NRC लागू करने और अन्य सुधारों की मांग की ताका [स्थानीय लोगों](#) को "गैर-स्थानीय नवासियों की बढ़ती संख्या" से बचाया जा सके ।

## राष्ट्रीय नागरकी रजस्रर:

- 'राष्ट्रीय नागरकी रजस्रर' (NRC) प्रत्येक गाँव के संबंध में तैयार कयि गया एक रजस्रर होता है, जसमें घरों या जोतों को क्रमानुसार दखिया जाता है और इसमें प्रत्येक घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या एवं नाम का ववरण भी शामिल होता है ।
- यह रजस्रर पहली बार भारत की वर्ष 1951 की जनगणना के बाद तैयार कयि गया था और हाल ही में इसे अपडेट भी कयि गया है ।
  - इसे अभी तक केवल असम में ही अपडेट कयि गया है और सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी अपडेट करने की योजना बना रही है ।
- उद्देश्य:** इसका उद्देश्य 'अवैध' अप्रवासियों को 'वैध' नवासियों से अलग करना है ।
- नोडल एजेंसी:** महारजस्रर एवं जनगणना आयुक्त, 'राष्ट्रीय नागरकी रजस्रर' के लयि नोडल एजेंसी है ।

## मणपुर में एनआरसी के लयि प्रयत्न:

- मणपुर वधानसभा में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, मणपुर की जनसंख्या में वर्ष 1971 से वर्ष 2011 तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो गैर-भारतीयों वशिष रूप से म्याँमार के नागरकों जनिमें मुख्यतः कुकी-चनि समुदाय हैं, के आने की प्रबल संभावना की ओर इशारा करती है ।
  - कुकी-चनि समूहों के अलावा एनआरसी समर्थक समूहों ने "बांग्लादेशियों" और [म्याँमार के मुसलमानों](#) की पहचान की है, जनिहोंने "जरीबाम के नरिवाचन कषेत्र पर कब्ज़ा कर लयि है तथा वे घाटी के इलाकों में फैले हुए हैं", साथ ही नेपाली (गोरखा) जनिकी "अत्यधिक संख्या में वृद्धि हुई है" को "बाहरी" के रूप में पहचाना गया है ।
- पूर्वोत्तर राज्य "बाहरी" "वदशियों" या "वदशी संस्कृतियों" के बारे में अपने संख्यात्मक रूप से कमज़ोर स्वदेशी समुदायों को बाहर निकाले जाने को लेकर बौखलाए हुए हैं ।
  - तीन प्रमुख जातीय समूहों की आबादी वाला मणपुर भी अलग नहीं है ।
  - ये जातीय समूह गैर-आदवासि मैतेई लोग, आदवासि [नगा](#) तथा [कुकी-जोमी समूह](#) हैं ।
- इन तीन समूहों के बीच संघर्ष का इतहास रहा है लेकिन NRC के मुद्दे ने मेती और नगाओं को एक साथ ला दयि है ।
  - उनका कहना है कएनआरसी आवश्यक है क्योंकि फरवरी 2021 में [सैन्य तखतापलट के कारण पड़ोसी म्याँमार में राजनीतिक संकट](#) ने राज्य में अपनी 398 कलिमीटर की सीमा से सैकड़ों लोगों को जाने के लयि मजबूर कर दयि है ।
  - जो लोग वहाँ से पलायन कर या पलायन कर रहे हैं उनमें से अधिकांश कुकी-चनि समुदायों से संबंधित हैं, जो मणपुर में कुकी-जोमी लोगों के साथ-साथ मज़ोरम के [मज़ि](#) से जातीय रूप से संबंधित हैं ।

## मणपुर में अन्य सुरक्षात्मक तंत्र:

- दिसंबर 2019 में अरुणाचल प्रदेश, मज़ोरम और नगालैंड के बाद मणपुर [इनर-लाइन परमिट \(ILP\)](#) प्रणाली के तहत लाने वाला चौथा पूर्वोत्तर राज्य बन गया।
  - 'बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, 1873' के तहत कार्यान्वयित 'इनर-लाइन परमिट' एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज़ होता है, जो कि एक सीमांत अवधि के लिये संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को जाने अथवा रहने की अनुमति देता है।
- बांग्लादेश (पूर्वी पाकस्तान), म्याँमार और नेपाल से "आप्रवासियों की घुसपैठ" को चिह्नित करते हुए, संगठनों द्वारा मणपुर के लिये एक पास या परमिट प्रणाली शुरू की गई, जिसे नवंबर 1950 में समाप्त कर दिया गया
  - जून 2021 में मणपुर सरकार ने ILP के उद्देश्य के लिये "मूल नवासियों" की पहचान हेतु आधार वर्ष के रूप में 1961 को मंजूरी दी।
  - अधिकांश समूह इस कट-ऑफ वर्ष से खुश नहीं हैं और 1951 को NRC अभ्यास के लिये कट-ऑफ वर्ष के रूप में मानते हैं।
- वर्ष 2021 से गृह मंत्रालय (MHA) ने म्याँमार से भारत में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिये नगालैंड, मणपुर, मज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश में सीमा सुरक्षा बल (BSF) अर्थात् [असम राइफल्स](#) को तैनात किया।
  - इसी तरह के निर्देश अगस्त 2017 और फरवरी 2018 में भी जारी किये गए थे।

## पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की स्थिति:

- असम इस क्षेत्र का एकमात्र राज्य है जसिने किसी व्यक्ति की नागरिकता के लिये कट-ऑफ तिथि के रूप में 24 मार्च, 1971 के **साक्षर 1951 के NRC को अद्यतित** करने की कवायद शुरू की।
- जून 2019 नगालैंड ने भी [नगालैंड के स्थानीय नागरिकों का रजिस्टर \(RIIN\)](#) नामक एक समान प्रयास किया, ताकि मुख्य रूप से गैर-स्वदेशी नगाओं में से स्वदेशी नगाओं को पहचाना जा सके।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQs):

222222:

नियंत्रण रेखा (LoC) सहित म्याँमार, बांग्लादेश और पाकस्तान की सीमाओं पर आंतरिक सुरक्षा खतरों और सीमापार अपराधों का विश्लेषण कीजिये। इस संबंध में विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा नभई गई भूमिका की भी चर्चा कीजिये। (2020)

## स्रोत: द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/manipur-to-implement-the-nrc>